संख्या-४००/VI/2004- पर्य0/ 2004

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 15 जून ~~मई~~ 2004

विषय: उत्तरांचल के प्रमुख चार धाम यात्रा मार्गों पर मोबाईल जिप्सियों यात्री सेवा वाहन चलाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, देहरादून के पत्रांक 14/दो-914/या0स0से0 वाहन/2004-2005 दिनांक 06-04-2004 के छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल के प्रमुख चार धाम यात्रा मार्गों पर मोबाईल जिप्सियों यात्री सेवा वाहन चलाये जाने हेतु रू 8.90 लाख (रुपये आठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आहरित कर व्यय हेतु युवा कल्याण निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। वाहनों के संचालन के दौरान वाहनों द्वारा प्रत्येक दिन किये गये कार्यो का विवरण एक रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा यथा सूचना देना , सुरक्षा, रेस्क्यू सामान्य सहायता प्राथमिक चिकित्सा आदि व यथा संभव उसमें सम्बन्धित पर्यटक का अनुमोदन/मन्तव्य भी अंकित कराया जायेगा।

5- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -3452-पर्यटन -80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 उत्तरांचल राज्य पर्यटन विकास परिषद -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा एवं इस मद में शासनादेश दिनांक 26-04-2004 में जारी धनराशि से वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- - VI/2004- पर्य0/-2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- जिला पर्यटन विकास अधिकारी ।
4- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
5- निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री जी ।
6- निजी सचिव माननीय पर्यटन मन्त्री जी ।
7- एन0आई0सी0, उत्तरांचल शासन ।
8- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।